


## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय आदेश

वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक-एफ6(6)एफडी/रूल्स/2010, जयपुर दिनांक 30.05.22 के अन्तर्गत मेडिकल बोर्ड राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, पाली (राज.) की अभिशंषा पर श्री मोती सिंह राजपुरोहित प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय साण्डेराव, पं.स. सुमेरपुर जिला पाली को दिनांक 24.11.22 से उनके मूल वेतन का 6 प्रतिशत लेकिन 1200/- (बारह सौ रुपये ) प्रतिमाह से अधिक न हो, मासिक वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।


इन्हें (आकस्मिक, राजपत्रित अवकाश को छोड़कर ) अवकाश काल कार्यभार संभालने हेतु मिलने वाले समय एवं निलम्बन के समय का विकलांग भत्ता देय नहीं होगा।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/ए-3/विकलांग भत्ता/17/90 दिनांक - 23 .12.2022

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 1 संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली।
- 2 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा पाली।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक जयपुर।
- 4 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सुमेरपुर जिला पाली।
- 5 प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय साण्डेराव, पं.स. सुमेरपुर जिला पाली
- 6 श्री मोती सिंह राजपुरोहित प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय साण्डेराव, पं.स. सुमेरपुर जिला पाली
- 7 रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

Viklang Trvl Allowance